DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF हिन्दुस्तान — नई दिल्ली बुधवार 21 सितंबर 2022 —DATED—

वास्तुविद ने मंदिर के पुनर्विकास और सौंदर्यीकरण का मसौदा तैयार कर उच्च न्यायालय में पेश किया

कालकाजी मंदिर भव्य रूप में दिखेगा

बदलती दिल्ली

प्रभात कुमार

नई दिल्ली। कालकाजी मंदिर जल्द ही भव्य रूप में दिखेगा। दिल्ली उच्च न्यायालय की ओर से नियुक्त वास्तुविद ने मंदिर के पुनर्विकास और सौंदर्यीकरण का मसौदा तैयार कर न्यायालय में पेश कर दिया है।

इसके तहत मंदिर परिसर के पुनर्विकास और सौंदर्यीकरण के दौरान माता के मुख्य मंदिर के साथ-साथ वहां स्थिति अन्य मंदिरों का जीर्णोद्धार भी किया जाएगा। इस दौरान मंदिरों की पवित्रता बनाए रखने के साथ-साथ मूल स्वरूप को भी बहाल रखा जाएगा।

जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने न्यायालय द्वारा नियुक्त वास्तुविद को मंदिर के पुजारियों द्वारा नियुक्त वास्तुविद के साथ मिलकर इसे अंतिम रूप देने का आदेश दिया है।

साथ ही 28 अक्तूबर को होने वाली सुनवाई से पहले रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। इससे पहले, मंदिर के प्रशासक नियुक्त किए गए जस्टिस जे आर मिधा ने न्यायालय में कालकाजी मंदिर के पुनर्विकास व सौंदर्यीकरण की योजना और नक्शा पेश किया।

उन्होंने यह भी पेश किया कि पुनर्विकास होने के बाद मंदिर कैसे भव्य रूप में दिखेगा और वहां आने वाले श्रद्धालुओं को क्या-क्या अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी।

दूसरी तरफ मंदिर के पुजारियों ने भी न्यायालय को बताया कि उन्होंने मंदिर के पुनर्विकास और सौंदर्यीकरण के लिए वास्तुविद से अलग योजना तैयार की है।

उन्होंने न्यायालय को बताया कि पुजारियों/बारीदारों सहित सभी हितधारकों के सुझाव पर विचार करने के बाद यह योजना तैयार की गई है। सभी तथ्यों और दोनों योजनाओं के देखने के बाद जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने उच्च न्यायालय द्वारा वास्तुविद गुरमीत सिंह चौहान और पुजारियों द्वारा नियुक्त हिमांशी कौशिक को आपस में बात करने और पुनर्विकास व सौंदर्यीकरण योजना को अंतिम रूप देने का आदेश दिया।

हरित क्षेत्र को मिलेगा बढ़ावा : मंदिर परिसर में मौजूद पेड़ों का संरक्षण किया जाएगा। इसके साथ ही, यहां पर बड़े पैमाने पर हरित क्षेत्रों का निर्माण किया जाएगा।

वेटिंग हॉल और भोजनालय की भी सुविधा

पुजारियों के ठहरने का किया गया है प्रबंध

- पुजारियों के ठहरने के लिए अस्थायी निवास परिसर का निर्माण किया जाएगा।
- पूरे कालकाजी मंदिर परिसर में 100 कियोस्क की व्यवस्था की गई है।
- मंदिर में फूल-माला और पूजा पाठ और अन्य सामानों की बिक्री के लिए 100 कियोस्क बनाए गए जाने की योजना है।
- दिव्यांगों के चलने के लिए रैंप तैयार किया जाएगा।

गर्भगृह का संरक्षण-सौंदर्यीकरण किया जाएगा

उच्च न्यायालय द्वारा मंदिर के कामकाज और पुनर्विकास की निगरानी के लिए प्रशासक नियुक्त किए गए जस्टिस जे आर मिधा की निगरानी में वास्तुविद गुरमीत सिंह चौहान द्वारा तैयार योजना के तहत मुख्य मंदिर के गर्भगृह का संरक्षण और सौंदर्यीकरण किया जाएगा। कालकाजी मंदिर परिसर के भीतर स्थित पांच अन्य देवताओं के मंदिरों का संरक्षण किया जाएगा। दर्शन करने के लिए आने वाले भक्तों को मंदिरों तक पहुंचने और दर्शन में परेशानी न हो, इसका समुचित प्रबंध होगा। भक्तों के लिए प्रतीक्षालय का निर्माण किया जाएगा।

कौन हैं योजना तैयार करने वाले गुरमीत

न्यायालय द्वारा मंदिर के पुनर्विकास का खाका खींचने के लिए वास्तुविद गुरमीत सिंह चौहान को नियुक्त किया गया था। चौहान ने दिल्ली उच्च न्यायालय के नए भवन का डिजाइन तैयार किया है। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली स्थित वाणिज्य भवन, एनआईटी दिल्ली के साथ-साथ आईटीओ स्थित स्काईवॉक का भी डिजाइन तैयार किया है।

ये सुविधाएं होंगी

मंदिर में आने वाले भक्तों को निशुल्क भोजन मुहैया कराने के लिए विशाल भंडारा हॉल बनाया जाएगा। इसके साथ ही योगा कक्ष, मुंडन हॉल, परिक्रमा पथ बनाया जाएगा। मंदिर में पर्याप्त संख्या में पार्किंग का प्रबंध किया जाएगा। पुनर्विकास के बाद मंदिर परिसर को इस तरह से बनाया जाएगा कि माता के दर्शन के लिए आने वाले दिव्यांगों को कोई परेशानी नहीं हो। इसके लिए दिव्यांगों के चलने के लिए रैंप तैयार किया जाएगा।

जल्द तैयार हो जाएगा कूड़े से बिजली बनाने का प्लांट

फॉलोअप

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली नगर निगम के ओखला तेहखंड लैंडफिल साइट पर स्थापित किया जा रहा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट अक्तूबर माह में बन कर तैयार हो जाएगा।

निगम अधिकारियों का कहना है कि ओखला लैंडफिल साइट पर प्रतिदिन आने वाले करीब 3600 मीट्रिक टन कूड़े में से 2000 मीट्रिक टन कूड़े की खपत तेहखंड लैंडफिल साइट पर हो सकेगी। इस प्लांट पर बिजली का उत्पादन किया जाएगा और उसे निगम अपने इस्तेमाल में लाने के साथ ग्रिड में भी सप्लाई करेगा।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली नगर निगम को करीब 45 एकड़ भूमि ओखला लैंडफिल साइट के लिए आवंटित की थी। इस भूमि में से 15 एकड़ भूमि तेहखंड लैंडफिल साइट पर स्थापित किए जा रहे वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के लिए दी गई थी। यहां करीब डेढ़ साल पहले वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का कार्य शुरू किया गया था। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट करीब 2000 टन की क्षमता का है।

भारती के खिलाफ प्रदर्शन आज

नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने आरोप लगाया कि आप विधायक अब दिल्ली में जमीनों पर कब्जा करने में जुटे हैं। गुप्ता ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मांग की कि वह डीडीए की उन जमीनों की जांच कराएं, जिन पर कब्जा किया गया है। गुप्ता ने कहा कि भाजपा इसके खिलाफ बुधवार को आप विधायक सोमनाथ भारती के आवास के बाहर प्रदर्शन करेगी।

आदेश गुप्ता ने आरोप लगाया कि हौज खास क्षेत्र में प्रसिद्ध डियर पार्क के करोड़ों रुपये की जमीन पर विधायक सोमनाथ भारती की शह पर कब्जा किया गया है। कब्जा वक्फ बोर्ड के सहयोग से कब्रिस्तान के साथ वाली जमीन पर किया गया है जो वास्तव में डीडीए की है।

'असिता' के सहारे चमकाया जाएगा यमुना का किनारा

नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। दिल्ली में यमुना नदी के किनारों को साफ-स्वच्छ और आम जनता के उपयोग के योग्य बनाने के लिए डीडीए ने असिता परियोजना की शुरुआत की है। इसके तहत पूर्वी दिल्ली में यमुना के किनारों को बेहतर उपयोग के लिए विकसित किया जा रहा है।

डीडीए के अधिकारियों ने बताया कि जल्द ही दक्षिणी और बाहरी दिल्ली के इलाकों में भी असिता परियोजना को बढ़ावा देने की तैयारी है। अधिकारियों का कहना है कि दिल्ली में यमुना के किनारे जहां-जहां डीडीए की जमीन है उसे बेहतर रूप में विकसित किए जाने की योजना है। गौरतलब है कि बीते दिनों उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने यमुना नदी के बाढ़ के मैदानों के पारिस्थितिक चरित्र को बहाल करने और पूर्वी दिल्ली के लोगों को सांस लेने योग्य सार्वजनिक हरी जगह मुहैया कराने के लिए लक्ष्मी नगर के पास असिता पूर्व परियोजना का उद्घाटन किया था।

यह परियोजना दिल्ली विकास प्राधिकरण के यमुना के बाढ़ के मैदानों की बहाली और कायाकल्प कार्यक्रम का एक हिस्सा है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS---DATED----------------------

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । बुधवार, 21 सितंबर 2022

विकासपुरी : फुटपाथ और सड़कों पर रेहड़ी वालों का कब्जा

एनबीटी न्यूज, विकासपुरी : वेस्ट दिल्ली विकासपुरी एच-ब्लॉक रोड पर इन दिनों रेहड़ी पटरी वालों का कब्जा है। ऐसे में इस रोड से गुजरने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

एच-ब्लॉक की यह रोड तिलक नगर, जनकपुरी, केशवपुर, विकासपुरी से होते हुए चंद्र विहार, पश्चिम विहार, निलोठी, विकासनगर, रनहौला, ककरोला और नजफगढ़ को जोड़ती है। अतिक्रमण के चलते एच-ब्लॉक में बड़े नाले के पास रोजाना ट्रैफिक जाम लगता है। यहां अतिक्रमण धीरे-धीरे बढ़ रहा है और रोड के पास डीडीए पार्क को भी अपनी चपेट में ले रहा है। जहां यह रेहड़ी पटरी लगाने वाले लोग अब फुटपाथ के साथ-साथ डीडीए पार्क में भी अपनी पैठ बनाने लगे हैं और अपने सामान को दीवार की दूसरी तरफ पार्क के अंदर रखकर फुटपाथ पर अपनी रेहड़ी पटरी लगा रहे हैं। स्थानीय निवासी और विकासपुरी विकास समिति के अध्यक्ष विकास त्यागी ने बताया कि विकासपुरी की सबसे बड़ी समस्या रोड पर अतिक्रमण है। इसके चलते विकासपुरी की लगभग सभी सड़कों पर सुबह-शाम जाम की स्थिति बन जाती है।

आप विधायक ने पार्क की जमीन कब्जाई : बीजेपी

विस, नई दिल्ली

बीजेपी ने मालवीय नगर से आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती पर डीडीए की जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने उप-राज्यपाल वी.के. सक्सेना से मांग की है कि वह डीडीए की जिन जमीनों पर कब्जा किया गया है, उन सबकी जांच करवाएं। साथ ही सीएम अरविंद केजरीवाल से भी मांग की है कि वह भारती को पार्टी और सरकार के अंदर सभी पदों से हटाएं। बुधवार को आदेश गुप्ता और नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी की अगुवाई में बीजेपी के कार्यकर्ता सोमनाथ भारती के आवास पर विरोध प्रदर्शन भी करेंगे।

> आदेश गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एलजी से मामले की जांच कराने की मांग की

मंगलवार को प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता में आदेश गुप्ता ने दावा किया कि हौज खास के प्रसिद्ध डियर पार्क के एक हिस्से पर सोमनाथ भारती की शह पर कब्जा कर लिया गया है। वक्फ बोर्ड के सहयोग से कब्रिस्तान के साथ लगती जमीन पर यह कब्जा किया गया है। मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के कब्रिस्तान के लिए भूमि का आवंटन 1970 में किया गया था, लेकिन अब पार्क की जमीन पर भी अवैध कब्जा करके उसे कब्रिस्तान में शामिल कर लिया गया है। गुप्ता ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती और सीएम अरविंद केजरीवाल की शह पर डीडीए की इस जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है, जिसकी जांच होनी चाहिए।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS--DATED----------------------

Hindustan Times
NEW DELHI
WEDNESDAY
SEPTEMBER 21, 2022

BJP CLAIMS WAQF ENCROACHED DDA LAND IN HAUZ KHAS

NEW DELHI: Delhi Bharatiya Janata Party (BJP) president Adesh Gupta on Tuesday asked lieutenant governor VK Saxena to probe the Waqf board's alleged encroachment of Delhi Development Authority (DDA) land in Deer Park near Hauz Khas, which he claimed was taking place with the help of area MLA Somnath Bharti, who refuted the charge and said the BJP was attempting to communalise people in order to seek votes.

Gupta alleged that land worth several crores near Deer Park was illegally occupied in connivance with Waqf board. "Land for a graveyard in Malviya Nagar assembly constituency was allotted to Waqf board in 1970. That Waqf board land was occupied by two individuals with Bhartis's help and buildings constructed there. Meanwhile, the Deer Park land is being occupied by new graves," he added.

Gupta said BJP workers will protest outside Bharti's residence on Wednesday regarding the issue. "We demand the LG conduct an investigation," he added.

MLA Bharti called the allegations baseless. "In order to get votes in MCD elections, they have started this communal Hindu-Muslim issue. BJP does not work for the welfare of people but as soon as elections approach, they start raking up communal issues."

Meanwhile, a senior DDA official, requesting anonymity, said, "Some encroachment has been found in the green area near the Hauz Khas lake. An inspection is being carried out and appropriate action will be taken soon." HTC

6 दैनिक जागरण नई दिल्ली, 21 सितंबर, 2022

आप विधायक करा रहे हैं डीडीए पार्क में कब्जा : आदेश गुप्ता

राब्यू, नई दिल्ली : भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने आप पर सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि हौजखास क्षेत्र में डियर पार्क में आप विधायक सोमनाथ भारती के इशारे पर अवैध कब्जा किया गया है। वक्फ बोर्ड के सहयोग से कब्रिस्तान के साथ लगती दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है। उन्होंने उपराज्यपाल से डीडीए की जमीन पर हुए कब्जे की जांच कराने की मांग की है। बुधवार को पार्टी कार्यकर्ता भारती के आवास के बाहर प्रदर्शन करेंगे।

गुप्ता ने कहा कि मालवीय नगर क्षेत्र में कब्रिस्तान की भूमि का आवंटन 1970 में किया गया था। भारती के नजदीकी लोगों ने पार्क की जमीन को भी कब्रिस्तान में शामिल कर लिया है। कब्रिस्तान की भूमि पर कब्जा करने के बाद पार्क की जमीन हथिया रहे है। इस संबंध में कोशिश के बाद भी सोमनाथ भारती का पक्ष नहीं मिल सका।

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
WEDNESDAY, SEPTEMBER 21, 2022

BJP alleges land grab in S Delhi park

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: Delhi BJP on Tuesday alleged that a piece of land worth crores of rupees, which is a part of Deer Park in south Delhi's Hauz Khas, has been encroached upon for extending a graveyard at the behest of the local MLA, Somnath Bharti, and the waqf board.

Delhi BJP chief Adesh Gupta claimed that the two men who have allegedly encroached upon the land are close to the AAP MLA. BJP has urged lieutenant governor VK Saxena to order a thorough probe.

Bharti, however, claimed that there is no encroachment of the DDA land for the graveyard. "A former BJP councillor has rather grabbed a piece of land near Hauz Khas village and built a hotel there. Though DDA has ordered the demolition, BJP has managed to save it till now. The land is most suitable for a cremation ground. Since I want the encroached land reclaimed, BJP is targeting me," Bharti alleged.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

नई दिल्ली। बुधवार • 21 सितम्बर • 2022 राष्ट्रीय सहारा -DAT. दैनिक भास्कर

डीडीए की जमीन पर अनधिकृत कब्जा करने में लगे हैं आप विधायक : आदेश गुप्ता

नई दिल्ली (एसएनबी)। प्रदेश भाजपा ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की जमीन पर कथित कब्जा करने वाले आम आदमी पार्टी (आप) के विधायकों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता का आरोप है कि आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के इशारे पर उनके विधायक सरकारी जमीन कर कब्जा कर रहे हैं। ऐसे ही एक विधायक सोमनाथ भारती के विरुद्ध उनके घर के बाहर पार्टी कार्यकर्ता बुधवार को प्रदर्शन करेंगे। इस मामले की उन्होंने उप-राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से शिकायत कर जांच कराने की मांग की है। यह जानकारी उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में दी। इस मौके पर महामंत्री हर्ष मल्होत्रा एवं हरिहर सिंह भी थे।

प्रदेश अध्यक्ष का आरोप है कि आप के विधायक वक्फ बोर्ड के सहयोग से कब्रिस्तान के साथ सटी सरकारी जमीनों पर अनधिकृत कब्जे कर रहे हैं। इसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भी मिलीभगत है। गुप्ता का आरोप है कि हौज खास स्थित डीडीए के डियर पार्क की जमीन के एक हिस्से पर सोमनाथ भारती ने अनधिकृत कब्जा कर लिया है। यह जमीन वक्फ बोर्ड की जमीन कर बने कब्रिस्तान से एक दम सटी हुई है, यह जमीन करोड़ों रुपए की है। उनका कहना है कि मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र स्थित कब्रिस्तान को 1970 में यह जमीन आवंटित की गई थी। कुछ लोगों ने अब डीडीए की उस जमीन को भी कब्रिस्तान में शामिल कर लिया है।

भाजपा आज सोमनाथ भारती के आवास के बाहर करेगी प्रदर्शन

नई दिल्ली | प्रदेश भाजपा ने आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती पर डीडीए के जमीन कब्जा करने के आरोप लगाते हुए आज उनके आवास पर प्रदर्शन करेगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने आरोप लगाया कि हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड बना रही है।

केजरीवाल सरकार अब दिल्ली में जमीनों पर कब्जा करने में जुटी है। उन्होंने एलजी वी के सक्सेना से मांग की कि वे डीडीए की जिन भी जमीनों पर कब्जा किया गया है उन सबकी जांच कराई जाए। आदेश गुप्ता ने मंगलवार को एक प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि हौज खास क्षेत्र में प्रसिद्ध डियर पार्क के एक करोड़ों रुपये के हिस्से पर केजरीवाल के खासमखास विधायक सोमनाथ भारती की शह पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा कि कब्जे का काम वक्फ बोर्ड के सहयोग से कब्रिस्तान के साथ लगती जमीन पर किया गया है जो कि वास्तव में डीडीए की जमीन है। गुप्ता ने कहा कि मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के कब्रिस्तान के भूमि का आवंटन वर्ष 1970 में किया गया था और अब मकसूदीन और लियाकत अली ने पार्क की जमीन को कब्रिस्तान में शामिल कर लिया है।

पंजाब केसरी

ग्राउंड बुकिंग रद्द होने पर रामलीला कमेटी ने एलजी से लगाई गुहार

नई दिल्ली,(पंजाब केसरी): श्री आदर्श रामलीला कमेटी (रजि.) ने रामलीला आयोजन के लिए डीडीए द्वारा ग्राउंड बुकिंग रद्द किये जाने पर दिल्ली के उपराज्यपाल से गुहार लगाई है। श्री आदर्श रामलीला कमेटी (रजि.) के अध्यक्ष रामकुमार राणा ने कहा कि हम गत 32 सालों से जीटीबी अस्पताल के सामने स्थित जीटीबी एन्क्लेव के डीडीए ग्राउंड पर रामलीला आयोजित करते आ रहे हैं। इसी आधार पर हमारी संस्था वरीयता भी दी गई और ग्राउंड की बुकिंग 30 अगस्त 2022 को कंफर्म कर दी गई और इसकी पूरी राशि भी जमा कर दी गई। इसके बावजूद श्री धार्मिक महासंघ ने एक और लिस्ट डीडीए को सौंप दी। जो कि उपराज्यपाल के बिना स्वीकृति के थी। पुन: लिस्ट के आधार पर हमारी बुकिंग को निरस्त कर दिया गया है और हमारी संस्था को किसी भी तरह की सूचना तक नहीं दी गई। ग्राउंड की बुकिंग 15 सितंबर से शुरु थी और 14 सितंबर दोपहर 3 तीन बजे के बाद निरस्त कर दी गई। राम कुमार राणा ने बताया कि इस कृत्य के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों से हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है उन्होंने बताया कि उपरोक्त संस्था द्वारा विभिन्न एजेंसियों के साथ अनुबंध तक हो चुके थे और एडवांस की बहुत बड़ी रकम इन सभी को अदा कर दी गई थी।